न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

तसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/18	30.07.2018	14/6/22

1. विकान्त अवयस्क पुत्र श्री नन्द किशोर जाति मीना जर्ये संरक्षिका माता ललिता पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा,जिला कोटा।
2. अनसत अवयस्क पुत्र श्री नन्द किशोर जाति मीना जर्ये संरक्षिका माता ललिता पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा,जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1– रतना पुत्र स्व0 बिरधा जाति मीना निवासी अयानी तह0पीपल्दा

2– नन्द किशोर पुत्र श्री रतना जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा ,जिला कोटा ।

~~प्रति~~वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयानी तह0पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी सम्वत् 2073 के खाता सं. 165 में खसरा संख्या 137 रकबा 1.86 है0 ख.सं. 185 रकबा 2.68 है0 खसरा सं. 985 रकबा 1.51 है. खसरा सं. 1027 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 6.42 है0 भूमि वादीगण के पितामह प्रतिवादी कम 2 के पिता प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी में दर्ज है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजी संबोधित किया गया है।

विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी कम 1 को उनके स्व0 पिता पिरथा से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादीगण अपने निहित हिस्से की भूमि खातेदारी की धोषणा करवा कर पृथक से बटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी कम 2 वादीगण के पिता है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी का जन्म से ही 1/4–1/4 हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 इसी अनुरूप विवादित आराजी का उपयोग–उपभोग कर रहे है। राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादीगण को भू सुधार हेतु कृषि ऋण प्राप्त करने,शैक्षणिक व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है इन परिस्थितियों में वादीगण के लिए आवश्यक हों गया है कि वह राजस्व रेकार्ड में अपने 1/4–1/4 हिस्से की धोषणा करवा कर उसका प्रथक से बटवारा करवाकर पृथक से लगान कायम करावे। दिनांक 20.07.2018 को वादीगण ने बटवारा करने हेतु प्रतिवादी कम 1 से निवेदन किया जो उन्होने साफ इन्कार कर दिया,इस पर वादीगण ने प्रतिवादी कम 3 से

के हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज करते हुए पृथक से बटवारा हेतु निवेदन किया तो ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो इस पर वादी न्यायालय में श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पडा।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद की चरण सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में दीगण को 1/4–1/4 कुल 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर राजस्व भिलेख में इन्द्राज किया जावे तथा उक्त आराजी का प्रथक–प्रथक बटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर इकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसके पश्चात सभी पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण को निणित्त किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलग्न रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतिक सम्पति है जिस पर वादीगण का हक अधिकार बनता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद की चरण सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादीगण को 1/4–1/4 कुल 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

(अ) **<u>वादीगण विकान्त एवं अनसत को प्राप्त भूमि –</u>**

ग्राम अयानी तह. पीपल्दा की ख.न. 185 रकबा 2.68 है0 एवं खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 रकबा 3.05 है0 भूमि

(ब) **<u>प्रतिवादी कम 1 रतना को प्राप्त भूमि</u>** –

ग्राम अयानी तह.पीपल्दा जिला कोटा की खसरा न. 137 रकबा 1.86 है0 भूमि

(स) **प्रतिवादी कम 2 नन्दकिशोर को प्राप्त भूमि** –

ग्राम अयानी तह.पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं. 985 रकबा 1.51 है0 भूमि

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

ठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार (आर.ए.एस)

1. विक्रान्त अवयस्क पुत्र श्री नन्द किशोर जाति मीना जर्ये संरक्षिका माता ललिता पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा,जिला कोटा।
2. अनसत अवयस्क पुत्र श्री नन्द किशोर जाति मीना जर्ये संरक्षिका माता ललिता पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा,जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1– रतना पुत्र स्व0 बिरधा जाति मीना निवासी अयानी तह0पीपल्दा

2– नन्द किशोर पुत्र श्री रतना जाति मीना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा ,जिला कोटा ।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा–53,88,188 आर.टी.एक्ट.
मुकदमा नं0 26/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद की चरण सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादीगण को 1/4–1/4 कुल 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

(अ) **वादीगण विक्रान्त एवं अनसत को प्राप्त भूमि –**

ग्राम अयानी तह. पीपल्दा की ख.न. 185 रकबा 2.68 है0 एवं खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 रकबा 3.05 है0 भूमि

(ब) **प्रतिवादी कम 1 रतना को प्राप्त भूमि –**

ग्राम अयानी तह.पीपल्दा जिला कोटा की खसरा न. 137 रकबा 1.86 है0 भूमि

(स) **प्रतिवादी कम 2 नन्दकिशोर को प्राप्त भूमि –**

ग्राम अयानी तह.पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं. 985 रकबा 1.51 है0 भूमि

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 19/6/22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा